न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)

पीठासीन अधिकारी :—श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :—71/2020

प्रकरण दर्ज तिथि :—14.10.2020

जीसीएमएस नम्बर :—2020/00129

वादीगण :—

1. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजमेर

// बनाम् //

प्रतिवादीगण :—

1. घीसापुत्र गोपाल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर फौत होने से उसके कायम मुकाम।
1/1 पुखराज पुत्र घीसा
1/2 गोरधन पुत्र घीसा
1/3 शांन्ति पुत्रि घीसा
1/4 विमला पुत्रि घीसा
2. सुवा पुत्र गोपाल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
3. अबाराम पुत्र गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
4. बाबूलालपुत्र गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
5. शिम्भुरामपुत्र गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
6. शैतानरामपुत्र गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
7. पप्पूराम पुत्र गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
8. सीता पत्नी गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
9. सन्तोष पुत्री गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
10. नोरती पुत्री गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
11. मोकली पुत्री गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
12. हरकु पुत्री गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास , तहसील रायपुर
13. अर्जून पुत्र पांचू जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
14. कालूराम पुत्र उदा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
15. ओगडराम पुत्र उदा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
16. पप्पूराम पुत्र उदा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
17. सूरजा पुत्री उदा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
18. बाया पुत्री उदा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
19. सीता पत्नी उदा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुरफौत होने् से डिलिट किया गया ।
20. ढगलू पुत्र जवारा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
21. आईदान पुत्र जवारा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
22. ओमप्रकाश पुत्र पुरखा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
23. घनश्याम पुत्र पुरखा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
24. महेन्द्र पुत्र पुरखा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
    24 क भारतराम पुत्र पुरखा जाति बावरी निवासी बूटीवास तहसील रायपुर
25. रेखादेवी पुत्री पुरखा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
26. नाथू पुत्र मोहन जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
27. माडी पत्नी मोहन जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
28. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, रायपुर

दावा बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 [illegible] काश्त. अधिनियम

Signature Not Verified

1 श्री भूपेन्द्र सैन अधिवक्ता वादी उपस्थित

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

2 प्रतिवादीगण श्री जसंवत सिंह सांखला (प्रतिवादी संख्या [illegible]) [illegible] शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

निर्णय

दिनांकः 12.08.2024

वादी की ओर से वकील श्री भूपेन्द्र सैन द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है।वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा ग्राम बुटीवास पटवार हल्का बुटीवास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गिरी तहसील रायपुर जिला ब्यावर मेंखसरा नम्बर 447 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादीगण 1/10 हिस्से यानि 1बीघा 03 बिस्वा 00 बिस्वा भूमि पर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादीएवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त हैं। मगर वादी व प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेस में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा । वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 की व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीएवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है । परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीके साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीगण को हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीएवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है । वादी की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि1/10 हिस्से यानि 1 बीघा 03 बिस्वा 00 बिस्वा भूमि मौके पर बंटी हुई है। वादी का अलग सें कब्जा व काश्त है वादी ने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेस में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 30.08.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है। वादी अपनी भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। बाद तकास्मा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार उदा पुत्र जवारा फोत हो चुका है। उदा पुत्र जवारा के विधिक वारिस कालूराम पुत्र उदा, ओगडराम पुत्र उदा,पप्पूराम पुत्र उदा,सुरजा पुत्री उदा,बाया पुत्री उदा,सीता पुत्री उदा है जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 14 से 19 के रुप में पक्षकार बनाया गया है उदा पुत्र जवारा के ओर कोई विधिक वारिसान नही है। सरहद मौजा ग्राम बुटीवास पटवार हल्का बुटीवास भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र गिरी तहसील रायपुर में वाके आराजी खसरा नम्बर 447 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी अव्वलभूमि मेंवादीगण के 1/10 हिस्से यानि 1 बीघा 03 बिस्वा 00 बिस्वा की भूमि पर वादी रिकोर्डेड काबिज खातेदार है। मौके पर वादी की भूमि बंटी हुई है वादीके कब्जे काश्त अनुसार भूमि की नापचौक कर पत्थरगड्डी कर नेखमबन्दी करवाई जावे व भूमि मौके पर बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादी के हिस्से की भूमि का अलग [illegible] किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे में बटटा नम्बर लगाकर अलग लाल रंग से [illegible] नक्शे में तरमीम कर दर्शाया जावे लगान बांटा जावे, बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा किया जावे [illegible] आराजी की डिक्री व निर्णय बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के सादिर फरमावें।

अतः वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रति[illegible]गण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये अखबार छाया की गई। प्रतिवादीगण के नोटिस तामिल सुदा प्राप्त हुए है। प्रतिवादी श्री जसंवत सिंह सांखला (प्रतिवादी संख्या 3 से 6,13,15,20,21) की ओर वकालतनामा पेश हुआ, जो शा.मि. हों। प्रतिवादीगण संख्या 01,02,07 से 12,14 16से 19, 22से 27 अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:39:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। वादी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 सीपीसी पेश किया , जो शा.मि. हों प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 19 की फौत हो चुकी हैं जिसके वारिसान पूर्व में रेकर्ड पर उपलब्ध हैं। प्रतिवादी संख्या 01 के फौत होने से उनके विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु निवेदन किया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं की हैं। प्रार्थना पत्र पर बहस समायत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 19 को डिलीट किये जानें एवं 01 के वारिसान रेकर्ड पर लिये जाने के आदेश दिये गये हैं संशोधित शीर्षक पेश हुआ, जो शा.मि. हों। वादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर माफिक रेकर्ड व मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया। इस पर उपस्थित प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रदान की।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। वकील वादी एवं प्रतिवादी माफिक रेकर्ड व मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कर प्राथमिक डिक्री जारी करवाने हेतु सहमत हैं। अतः उक्त वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज पर मनन, अधिवक्ता के मौखिक अभिकथनों से एवं अवलोकन के पश्चात् माफिक रेकर्ड व मौके अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस कर प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश जारी किये गये।

माफिक रेकर्ड एंव मौके एंव कब्जा काश्त अनुसार बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करनें हेतु तहसीलदार रायपुर को अधिकृत किया गया, तहसीलदार रायपुर ने विवादित भुमि का अपने पत्र क्रमांक राजस्व/2023/675 दिनांक 07.07.2023 के द्वारा प्राथमिक डिक्री के आदेश की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव प्रेषित किया गया।

बंटवाड़ा प्रस्ताव का वकील वादी एवं प्रतिवादी द्वारा अवलोकन किया गया।
अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादी ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। वकील वादी व प्रतिवादी ने बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाड़ा करने में सहमति व्यक्त की। वकील वादी व प्रतिवादी की बहस समायत की गई। बहस व पत्रावली के अवलोकन व मनन् के पश्चात् तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बुटीवास पटवार हल्का बुटीवास के वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :—

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगाान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल जाति—रेगर,निवासी राजमहल होटल के पीछे ब्यावर	447	0.1862	बारानी अव्वल	0.58
		1	0.1862		0.58
2	अबाराम पुत्र गोकल हि.1/90, अर्जुन पुत्र पांचू हि.1/9, आईदान पुत्र जवारा हि.5/36, उदा फोत के कायम मुकाम—कालूराम पुत्र उदा हि. 5/216,ओगडराम पुत्र उदा हि.5/216,पप्पुराम पुत्र उदा हि.5/216,सूरजा पुत्री उदा हि. 5/216,बाया पुत्री उदा हि.5/216,सीता पत्नि उदा हि.5/216, ओमप्रकाश पुत्र पुरखाराम हि. 1/108,घनश्याम पुत्र पुरखाराम हि.1/108 ,घीसा पुत्र गोपाल हि.1/9 फौत के कायम मुकाम पुखराज पुत्र घीसा हि.1/36,गोरधन पुत्र घीसा हि.1/36,शांन्ती पुत्री घीसा हि.1/36,विमला पुत्री घीसा हि.1/36 ,ढगलू पुत्र जवारा हि.5/36,नाथू पुत्र मोहन हि.5/108,नोरती पुत्री गोकल हि. 1/90,पप्पुराम पुत्र गोकल हि.1/90,बाबूलाल पुत्र गोंकल हि.1/90 भारताराम पुत्र पुरखाराम हि. 1/108,महेन्द्र पुत्र पुरखाराम हि.1/108 माडी पत्नि मोहन हि.5/108 मोकली पुत्री गोकल हि. 1/90, रेंखादेवी पुत्री पुरखाराम हि. 1/108,शैतानराम पुत्र गोकल हि.1/90,शिम्भूराम पुत्र गोकल हि.1/90,संतोष पुत्री गोकल हि.	447/1	1.6754	बारानी अव्वल	5.17

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:59:59 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं [illegible] अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

	1/90 , सुवा पुत्र गोपाल हि.1/9, सीता पत्नि गोकुल हि. 1/90, हरकू पुत्री गोकल हि.1/90, जाति–बावरी सा.देह खातेदार ।				
		1	1.6754		5.17

बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:59:59 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

बईजलास :– श्री पूरण कुमार आर.ए.एस.

वादीगण :–

1. अरविन्दकुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल सिंगारिया जाति रेगर, निवासी अम्बेडकर कालोनी, राजमहल होटल के पीछे ब्यावर, जिला अजमेर

// बनाम् //

प्रतिवादीगण :–

1. घीसापुत्र गोपाल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर फौत होने से उसके कायम मुकाम।
1/1 पुखराज पुत्र घीसा
1/2 गोरधन पुत्र घीसा
1/3 शांन्ति पुत्रि घीसा
1/4 विमला पुत्रि घीसा
2. सुवा पुत्र गोपाल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
3. अबाराम पुत्र गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
4. बाबूलालपुत्र गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
5. शिम्भुरामपुत्र गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
6. शैतानरामपुत्र गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
7. पप्पूराम पुत्र गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
8. सीता पत्नी गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
9. सन्तोष पुत्री गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
10. नोरती पुत्री गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
11. मोकली पुत्री गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
12. हरकु पुत्री गोकल जाति बावरी निवासी बुटीवास., तहसील रायपुर
13. अर्जून पुत्र पांचू जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
14. कालूराम पुत्र उदा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
15. ओगडराम पुत्र उदा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
16. पप्पूराम पुत्र उदा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
17. सूरजा पुत्री उदा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
18. बाया पुत्री उदा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
19. सीता पत्नी उदा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुरफौत होने से डिलिट किया गया ।
20. ढगलू पुत्र जवारा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
21. आईदान पुत्र जवारा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
22. ओमप्रकाश पुत्र पुरखा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
23. घनश्याम पुत्र पुरखा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
24. महेन्द्र पुत्र पुरखा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
    24 क भारतराम पुत्र पुरखा जाति बावरी निवासी बूटीवास तहसील रायपुर
25. रेखादेवी पुत्री पुरखा जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
26. नाथू पुत्र मोहन जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
27. माडी पत्नी मोहन जाति बावरी निवासी बुटीवास तहसील रायपुर
28. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, रायपुर

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज. टि.एक्ट

राजस्व वाद संख्या 71/2020

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:59:59 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूबरू हमारे व हाजरी श्री भूपेन्द्र सैन अधि[illegible] वादी [illegible]जानिब मुदईव हाजरी प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म [illegible] विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा बुटीवास पटवार [illegible] के मध्य भूमि का विभाजन तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश माफिक बंटवाड़ा [illegible] जारी करने के आदेश दिये जाते है, जो निम्न है :–

क्र.सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगाान
1	अरविन्द कुमार सिंगारिया पुत्र चांदमल	447	0.1862	बारानी	0.58

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

	जाति–रेगर,निवासी राजमहल होटल के पीछे ब्यावर			अव्वल	
2	अबाराम पुत्र गोकल हि.1/90, अर्जुन पुत्र पांचू हि.1/9, आईदान पुत्र जवारा हि.5/36, उदा फोत के कायम मुकाम–कालूराम पुत्र उदा हि. 5/216,ओगडराम पुत्र उदा हि.5/216,पप्पुराम पुत्र उदा हि.5/216,सूरजा पुत्री उदा हि. 5/216,बाया पुत्री उदा हि.5/216,सीता पत्नि उदा हि.5/216, ओमप्रकाश पुत्र पुरखाराम हि. 1/108,घनश्याम पुत्र पुरखाराम हि.1/108 ,घीसा पुत्र गोपाल हि.1/9 फौत के कायम मुकाम पुखराज पुत्र घीसा हि.1/36,गोरधन पुत्र घीसा हि.1/36,शांन्ती पुत्री घीसा हि.1/36,विमला पुत्री घीसा हि.1/36 ,ढगलू पुत्र जवारा हि.5/36,नाथू पुत्र मोहन हि.5/108,नोरती पुत्री गोकल हि. 1/90,पप्पुराम पुत्र गोकल हि.1/90,बाबूलाल पुत्र गोंकल हि.1/90 भारताराम पुत्र पुरखाराम हि. 1/108,महेन्द्र पुत्र पुरखाराम हि.1/108 माडी पत्नि मोहन हि.5/108 मोकली पुत्री गोकल हि. 1/90, रेंखादेवी पुत्री पुरखाराम हि. 1/108,शैतानराम पुत्र गोकल हि.1/90,शिम्भूराम पुत्र गोकल हि.1/90,संतोष पुत्री गोकल हि. 1/90 , सुवा पुत्र गोपाल हि.1/9 सीता पत्नि गोकुल हि. 1/90हरकू पुत्री गोकल हि.1/90, जाति–बावरी सा.देह खातेदार	1 447/1	0.1862 1.6754	 बारानी अव्वल	0.58 5.17
		1	1.6754		5.17

बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबधि मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा।

नीज...................... ....मुबलिक................ ....बाबत्............. .... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.08.2024 को जारी किया गया।

(पूरण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दयलह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा –	08	00	स्टाम्प वकालतनामा –	02	00
स्टाम्प वकालतनामा –	26	00	स्टाम्प हाजरी –	0	
स्टाम्प वजह सबूत –	00	00	मेहनताना वकील पर –		
मेहनताना वकील –			खर्चा गवाहान –		
खर्चा गवाहान –			फीस कमि नर–		
फीस कमि नर–			बाबत इजराय हुक्मनामा –		
बाबत इजराय हुक्मनामा –			मुतफरिक	0	
मुतफरिक –	2	00	मीजान	02	00
मीजान	36	00			

Signature Not Verified
Digitally signed by Puran kumar
Date: 2024.09.25 11:59:59 IST
Reason: SelfAttested

नोट :–इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिया गया हो नही दर्ज किया जावें।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)